राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715531, E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप / जय / Dig.Lit/Click/F-945 / 2017 / 9189 दिनांकः 20/12/2017

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं पदेन
जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषयः– CLICK (Computer Literacy Initiative for Comprehensive Knowledge) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भः– दिनांक 30.10.2017 का कार्यवृत्त क्रमांकः रामाशिप / जय / मॉनिटरिंग / Progress / 8675 दिनांक 01.12.2017 एवं रामाशिप का पूर्व में जारी पत्र क्रमांकः रामाशिप / जय / Dig.Lit/Click/F-945/2017/5451 दिनांक 16.08.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 30.10.2017 को माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में लिये गये निर्णयों के अनुसार विभिन्न जिलों में आईटी ज्ञान केन्द्र की उपलब्धता कम होने के कारण राजस्थान के किसी भी जिलें में स्थित आईटी ज्ञान केन्द्र को किसी भी जिले के विद्यालयों के साथ एम.ओ.यू. करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त निर्देशों की पालना में प्रभावी संबलन व मॉनिटरिंग करते हुए योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करें व एम.ओ.यू. की समय अवधि व शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अधिकतम विद्यार्थी पंजीकरण हेतु समस्त विद्यालयों को निर्देशित करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

(आनन्दी)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाशिप / जय / Dig.Lit/Click/F-945 / 2017 / दिनांकः / /2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, बीकानेर।
3. उपायुक्त (प्रथम), रा.मा.शि.प., जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, आर.के.सी.एल., जयपुर।
5. समस्त एडीपीसी, रमसा को पालनार्थ ।
6. समस्त संस्था प्रधान को पालनार्थ।
7. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश चन्द्र)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2715522 E-mail: modelschoolest@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप / जय / मॉनिटरिंग / Progress / 8675 दिनांक : 01-12-2017

दिनांक 30.10.2017 का कार्यवृत्त

दिनांक 30.10.2017 को माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर की अध्यक्षता में रमसा की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक मंथन सभागार, प्रशासनिक भवन, शिक्षा संकुल में आयोजित की गई। इस बैठक में शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं रामाशिप की राज्य परियोजना निदेशक, अति0 राज्य परियोजना निदेशक, उपायुक्त प्रथम / द्वितीय, उपनिदेशक समस्त एवं अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया (सूची संलग्न)। बैठक का कार्यवृत निम्नानुसार हैं–

शाखा	की जाने वाली कार्यवाही
शाला दर्पण	1. मा0शि0 की शेष रही कक्षाओं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी शाला दर्पण पोर्टल पर लिया जावे। 2. माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टार रैंकिंग वाले विद्यालयों की स्टार रैंकिंग किस आधार पर की गई है ? इसका प्रस्तुतिकरण बीसीजी के माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष किया जावे। 3. शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले शिक्षकों व कार्मिकों का पूर्ण डाटा तैयार किया जावे। शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सभी संस्थान जैसे निदेशालय–बीकानेर, एस.आई.ई.आर.टी.–उदयपुर, सभी डाईट, उपनिदेशक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी–प्रारम्भिक / माध्यमिक, स्टेट ओपन स्कूल कार्यालय–जयपुर,राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, निदेशालय–साक्षरता को पत्र लिखकर निर्देशित किया जावे कि दिनांक 31.12.2017 से पहले सभी कार्मिकों का डाटा शाला दर्पण पर अपडेट किया जावे। 4. छात्रों का आधार व भामाशाह नामांकन डेटा केप्चर शीघ्र किया जावे। 5. पदोन्नति उपरान्त कार्यग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों के लिए परिपत्र निकाला जावे व नियत तिथि के बाद कार्यग्रहण नहीं करने पर फोर गो माना जावे। 6. विभागीय डीपीसी के समय वरिष्ठता सूची को शाला दर्पण से मैच किया जावे व विभाग में कार्य नहीं करने वाले कार्मिकों को हटाया जावे।
मॉडल स्कूल	1. माध्यमिक शिक्षा विभाग में कक्षा–11 में विज्ञान संकाय में शून्य नामांकन वाले विद्यालयों में से व्याख्याताओं को हटाकर मॉडल स्कूल में लगाया जावे। 2. जिन मॉडल स्कूलों में नामांकन कम है उनकी सूची बनाकर नामांकन बढ़ाने का समन्वित प्रयास किया जावे। 3. मॉडल विद्यालयों में से एक वर्ष से पूर्व कार्मिकों को नहीं हटाया जावे, जब तक कि उनकी किसी प्रकार की शिकायत न हो। 4. मॉडल विद्यालयों के लिए प्रतिमाह साक्षात्कार का आयोजन कर प्रतिनियुक्ति से पद भरे जावे। 5. मॉडल विद्यालयों के खेल मैदानों हेतु प्रस्ताव मनरेगा के माध्यम से कलेक्टर को भिजवाया जावे। शहरी मॉडल विद्यालय व ग्रामीण मॉडल विद्यालय की अलग–अलग सूची बनाई जावे।